प्र.सं. 39/2018 मांगीदास बनाम ठाकुरजी स्थान देह खातेदार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12.12.2024	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम सुरों का गुड़ा, पटवार हल्का बेमला, निरीक्षण क्षेत्र कुराबड़, तहसील गिर्वा में खाता संख्या नया 41 पुराना 44 की आराजी नंबर 499 से 508, 519, 1173/1098 कुल किता 12 रकबा 1.3150 हैक्टर भूमि स्थित है। उक्त समस्त आराजियात मंदिर एवं मन्दिर से संबंधित समस्त आराजियात पर श्री जेरामदावस वल्द किशनदास जी वैरागी, निवासी कुराबड़ बतौर पुजारी सेवा पूजा करते हैं इसके साथ ही इसके भाई नन्ददास वल्द मोड़ीदास एवं लालदास पिता सीताराम जी वैगारी भी श्री ठाकुर जी के मन्दिर की निरन्तर सेवा पूजा करते चले आ रहे हैं तथा खेती बाड़ी कर फसलें प्राप्त कर रहे हैं। किशनदास, मोड़ीदास, सीताराम की वंशावली वाद पत्र की कलम संख्या 3 अनुसार है। नारायणदास को छोड़कर शेष सभी वारिसान ने कुराबड़ छोड़ दिया है एवं अपने परिवार सहित उदयपुर में निवास करते हैं अथवा अन्य शहरों में निवास करने लग गये हैं। वर्तमान मंदिर की सेवा पूजा एवं समस्त कार्य केवल नारायणदास द्वारा ही किया जा रहा है। श्री हीरादास वैष्णव जो स्वर्गीय जेरामदास जी के पुत्र थे, ने अपने जीवनकाल में ठाकुरजी स्थान देह की आराजी काश्त में से एक हिस्सा श्रीमती राजबाई पत्नी पत्नी स्वर्गीय शम्भूनाथ जी बड़ा पालीवाल को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख बिना किसी अधिकार के विक्रय कर दी, जिसका पंजीयन दिनांक 31.03.1961 को हुआ। उनके द्वारा तत्कालीन खाता संख्या 26 की आराजी नंबर 320/1, 322, 323, 326, 329, 332, 334 कुल किता 7 रकबा सवा बीघा चार बिस्वा भूमि का विक्रय कर दिया गया है, जो बिना किसी अधिकार के है। हीरादास न तो इस भूमि के मालिक थे और न ही उनके पास कोई स्वामित्व संबंधी दस्तावेज थे, इसके बावजूद उनके द्वारा बिना अधिकार के विक्रय किया गया है, जिसमें परिवार के किसी भी सदस्य की सहमति नहीं थी। क्रेता राजबाई का कभी भी उक्त भूमि पर कब्जा नहीं रहा। निरन्तर जेरामदास जी,	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.12.19 12:52:23 IST
Reason: SelfAttested

मोड़ीदास जी एवं लालदास जी के वारिसान का ही चला आ रहा है। लगभग एक वर्ष पूर्व प्रतिवादीगण द्वारा नियुक्त झामेश्वरलाल माली ने आकर खेड़ी बाड़ी प्रारम्भ कर दी तथा मना करने पर लड़ाई–झगड़ा करने लगा तथा एक हिस्से पर जबरन अधिकार कर दिया, जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है। अतः वादी का वाद स्वीकार कर विक्रय विलेख जो श्रीमती राजबाई के पक्ष में किया गया है, जिसका वर्णन वाद पत्र की कलम संख्या 1 में किया गया है, जो वादी की घोषित कराया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण राजस्व कैम्प में रखकर अपने निर्णय दिनांक 22.06.2017 वादी का वाद पोषणीय नहीं होने के आधार पर खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 10.04.2018 को प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्टद संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री नरेश जणवा उपस्थित हुए, जबकि अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री नरेन्द्र सोनी उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत में बिना अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये एवं बिना नोटिस दिये प्रकरण कैम्प में रखकर प्रकरण का निस्तारण कर दिया, जबकि अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में जवाबदावा व काउण्टर क्लेम भी प्रस्तुत किया गया था। अपीलान्ट विवादित आराजियात पर अपने दादा के समय से काबिज चला आ रहा है, वादी/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने गलत कथनों के आधार पर वाद पेश किया है, जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने बिना समझे तथा अपीलान्ट के काउण्टर क्लेम पर बिना कोई निर्णय पारित किये अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.12.19 12:52:23 IST
Reason: SelfAttested

अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जावे तथा प्रकरण साक्ष्य सबूतों के आधार पर निर्णय पारित करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे।

उक्त बहस का खण्डन करते हुए विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने बताया कि अधीनस्थ न्यायालय दावे को इन्फेक्चुअस मानकर स्वविवेक से दावे को आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के तहत खारिज किया है, जो विधि सम्मत है। अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 2 ने काउण्टर क्लेम में 188 की दाद चाही है, जबकि 188 का वह खातेदार नहीं है। अतः अपील खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। प्रकरण में वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का जवाबदावा मय काउण्टर क्लेम प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 23.07.2015 को प्रस्तुत किया गया, किन्तु अधीनस्थ न्यायायल ने प्रतिवादीगण के काउण्टर क्लेम पर बिना कोई निर्णय किये तथा अपीलान्ट को बिना सूचना दिये व उन्हें बिना सुने प्रकरण राजस्व कैम्प में रखकर निर्णय पारित कर दिया, जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य हैं

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का प्रकरण संख्या 201/2012 निर्णय व डिक्री दिनांक 22.06.2017 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 2 के काउण्टर क्लेम पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर एवं पक्षकारों को सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर साक्ष्य सबूतों के आधार पर पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 10.02.2025 को उपस्थित रहें। निर्णय आज दिनांक 12.12.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.12.19 12:52:23 IST
Reason: SelfAttested